

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-11001

सं.: ई सी आई/प्रे.नो./74/2018/संचार

दिनांक: 30 अक्टूबर, 2018

## प्रेस नोट

**विषय: तेलंगाना विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2018- राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों को रेडियो प्रसारण/दूरदर्शन प्रसारण के समय का आबंटन-तत्संबंधी।**

तेलंगाना विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 में राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों को रेडियो प्रसारण/दूरदर्शन प्रसारण के समय के आबंटन के संबंध में आयोग द्वारा जारी दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 के आदेश संख्या 437/टीए-वि.स/1/2018/संचार की एक प्रति जन साधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

(पवन दीवान)

अवर सचिव

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं०: 437/टीए-वि.स./1/2018/संचार

दिनांक: 26 अक्टूबर, 2018

## आदेश

वर्ष 1998 में लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के समय, आयोग ने दिनांक 16 जनवरी, 1998 के अपने आदेश के द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले रेडियो तथा टेलीविजन के निःशुल्क प्रयोग के माध्यम से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के राज्यीय वित्त पोषण के लिए, आयोग के निदेशों के अधीन एक नई पहल का आरंभ किया था। तदनन्तर, उक्त योजना को वर्ष 1998 के पश्चात होने वाले राज्य विधान सभाओं के सभी साधारण निर्वाचनों और लोक सभा साधारण निर्वाचन 1999, 2004, 2009 तथा 2014 तक विस्तारित कर दिया गया था।

"निर्वाचन तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) अधिनियम, 2003" और उसके अधीन अधिसूचित नियमों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधनों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार के लिए समय की न्यायसंगत हिस्सेदारी का अब सांविधिक आधार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39क के नीचे स्पष्टीकरण के खंड(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने ऐसी सभी प्रसारण मीडिया, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके द्वारा नियन्त्रित या उसके द्वारा पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में उपलब्ध करवाई गई निधियों से वित्त पोषित हैं, को उस धारा के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में अधिसूचित किया है। अतः, प्रसार भारती निगम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय की न्यायोचित हिस्सेदारी की उक्त योजना को तेलंगाना विधान सभा के आगामी साधारण निर्वाचन, 2018 पर भी इसे लागू करने का आयोग ने निर्णय लिया है।

रेडियो प्रसारण समय और दूरदर्शन प्रसारण समय के प्रयोग की सुविधा तेलंगाना के संबंध में केवल 'राष्ट्रीय दलों' और 'मान्यताप्राप्त राज्यीय दलों' को ही, उपलब्ध होगी।

**इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:**

1. यह सुविधा आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केन्द्रों से तथा तेलंगाना के मुख्यालयों में उपलब्ध होगी और उक्त उल्लिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अंतर्गत अन्य स्टेशनों द्वारा प्रसारित की जाएगी।

## **दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण हेतु आबंटित समय:**

2. तेलंगाना में दूरदर्शन नेटवर्क और आकाशवाणी नेटवर्क के प्रादेशिक केन्द्रों पर प्रत्येक राष्ट्रीय दल और मान्यताप्राप्त राज्यीय दल (तेलंगाना के संबंध में मान्यताप्राप्त) को एकसमान 45 मिनट का बेस टाइम दिया जाएगा।
3. दल को आबंटित किए जाने वाले अतिरिक्त समय के बारे में निर्णय संयुक्त आंध्र प्रदेश में 2014 के राज्यीय विधान सभा निर्वाचनों के दौरान नए तेलंगाना राज्य (अलग हुए) में आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों से पिछले विधान सभा निर्वाचन में दल के मतदान प्रदर्शन के आधार पर लिया गया है।
4. प्रसारण के एकल सत्र में किसी भी पार्टी को 15 मिनट से अधिक का समय आबंटित नहीं किया जाएगा।

## **दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण की तारीख:**

5. रेडियो प्रसारण और टेलीविजन प्रसारण की अवधि प्रथम चरण के मतदान के लिए नाम निर्देशन भरने की अंतिम तारीख और उपर्युक्त उल्लिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान की तारीख से दो दिन पहले के बीच की अवधि होगी।
6. प्रसार भारती निगम, आयोग के परामर्श से रेडियो प्रसारण और दूरदर्शन प्रसारण हेतु वास्तविक तारीख और समय का निर्धारण करेगा। यह दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के पास उपलब्ध वास्तविक प्रसारण समय को शासित करने वाले व्यापक तकनीकी प्रतिबंध के अध्यधीन होगा।

## **अग्रिम रूप से प्रतिलिपि प्रस्तुत करना:**

7. दूरदर्शन प्रसारण और रेडियो प्रसारण हेतु आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। **दलों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे प्रतिलिपि और रिकार्डिंग को अग्रिम रूप से प्रस्तुत करें।** दल इसे प्रसार भारती निगम द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों को पूरा करने वाले स्टूडियो में या दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों में अपनी लागत पर रिकार्ड करवा सकते हैं। विकल्प के रूप में वे अग्रिम अनुरोध द्वारा दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्टूडियो में भी रिकार्ड करवा सकते हैं। ऐसे मामलों में, ये रिकार्डिंग राज्यीय राजधानी में दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा अग्रिम रूप से इंगित समय पर की जाएंगी।

## **पैनल परिचर्चा और वाद-विवाद:**

8. दलों द्वारा प्रसारण के अतिरिक्त, प्रसार भारती निगम दूरदर्शन/आकाशवाणी के केन्द्रों/स्टेशनों पर अधिकतम दो पेनल परिचर्चाएं और/या वाद-विवाद आयोजित करवाएगा। ऐसे कार्यक्रम के लिए प्रत्येक पात्र दल अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है।

9. भारत निर्वाचन आयोग प्रसार भारती निगम के परामर्श से ऐसी पेनल परिचर्चाओं और वाद-विवाद के लिए संयोजकों के नामों का अनुमोदन करेगा।

**दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण में अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश:**

10. दूरदर्शन/आकाशवाणी पर निम्नलिखित दूरदर्शन दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण अनुमत्य नहीं होंगे:

- (क) अन्य देशों की निंदा;
- (ख) धर्मों या समुदायों पर हमला;
- (ग) कुछ भी अश्लील या अपमान जनक;
- (घ) हिंसा भड़काना;
- (ङ) ऐसा कुछ, जिससे न्यायालय की अवमानना हो;
- (च) राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के प्रति निन्दा;
- (छ) ऐसा कुछ भी, जो देश की एकता, सम्प्रभुता और अखण्डता को प्रभावित करता हो;
- (ज) किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आलोचना;

**दलों के लिए टाइम वाउचर्स:**

11. 1 मिनट से 4 मिनट तक के समय आबंटन के एक वाउचर सहित टाइम वाउचर्स 5 मिनट के समय वर्ग में उपलब्ध होंगे और दल उसे अपनी सुविधानुसार मिलाने के लिए स्वतन्त्र होंगे। विभिन्न राजनैतिक दलों को समय का आबंटन इसके साथ संलग्न विवरण में दिया गया है।

आदेश से,

(अजय कुमार)

सचिव

## तेलंगाना राज्य विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2018

दूरदर्शन/आकाशवाणी के प्रादेशिक केन्द्रों/राज्यीय राजधानी केन्द्रों पर राष्ट्रीय दलों के लिए उपलब्ध समय

राज्य का नाम	राष्ट्रीय/राज्यीय दल का नाम	कुल आबंटित समय, मिनटों में		जारी किए गए टाइम वाउचरों की संख्या	
		आकाशवाणी प्रसारण	दूरदर्शन प्रसारण	आकाशवाणी प्रसारण	दूरदर्शन प्रसारण
<b>तेलंगाना</b>	ए आई टी सी	45	45	9 (प्रत्येक 5 मिनट)	9 (प्रत्येक 5 मिनट)
	बी एस पी	53	53	10 (प्रत्येक 5 मिनट)+1(3 मिनट)	10 (प्रत्येक 5 मिनट)+1(3 मिनट)
	बी जे पी	86	86	17 (प्रत्येक 5 मिनट)+1(21 मिनट)	17 (प्रत्येक 5 मिनट)+1(1 मिनट)
	सी पी आई	50	50	10 (प्रत्येक 5 मिनट)	10 (प्रत्येक 5 मिनट)
	सी पी आई (एम)	54	54	10 (प्रत्येक 5 मिनट)+1(4 मिनट)	10 (प्रत्येक 5 मिनट)+1(4 मिनट)
	आई एन सी	192	192	38 (प्रत्येक 5 मिनट)+1(2 मिनट)	38 (प्रत्येक 5 मिनट)+1(2 मिनट)
	एन सी पी	45	45	9 (प्रत्येक 5 मिनट)	9 (प्रत्येक 5 मिनट)
	एस आई एम ई आई एम	45	45	9 (प्रत्येक 5 मिनट)	9 (प्रत्येक 5 मिनट)
	टी आर एस	245	245	49 (प्रत्येक 5 मिनट)	49 (प्रत्येक 5 मिनट)
	टी डी पी	130	130	26 (प्रत्येक 5 मिनट)	26 (प्रत्येक 5 मिनट)
	वाई एस आर सी पी	45	45	9 (प्रत्येक 5 मिनट)	9 (प्रत्येक 5 मिनट)
	<b>कुल</b>		<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>

## राजनैतिक दलों की सूची

(तेलंगाना)

क्रम सं.	संक्षिप्त नाम	स्थिति	पार्टी का नाम
1.	ए आई टी सी	राष्ट्रीय दल	ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस
2.	बी एस पी	राष्ट्रीय दल	बहुजन समाज पार्टी
3.	बी जे पी	राष्ट्रीय दल	भारतीय जनता पार्टी
4.	सी पी आई	राष्ट्रीय दल	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
5.	सी पी आई(एम)	राष्ट्रीय दल	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माक्सिसिस्ट)
6.	आई एन सी	राष्ट्रीय दल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
7.	एन सी पी	राष्ट्रीय दल	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
8.	ए आई एम ई आई एम	राज्यीय दल	ऑल इण्डिया मजलिस - ऐल्लेहादुल मुसलीमीन
9.	टी आर एस	राज्यीय दल	तेलंगाना राष्ट्र समिति
10.	टी डी पी	राज्यीय दल	तेलुगु देसम पार्टी
11.	वाई एस आर सी पी	राज्यीय दल	युवाजन श्रमिक रायथु काँग्रेस पार्टी